**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-4, में प्रकाशनार्थ**

फाइल सं 11(3)/2016 रक्षा (सिविलियन-1)

**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2016

का.नि.आ. .....11.... (अ). - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा सेवा में सिविलियन (संशोधित वेतन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम 01 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. **सरकारी सेवकों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होंगे:-**

(1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम संघ के कार्यों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों जिनका वेतन रक्षा सेवा प्राक्कलनों में से अदा किया जाता है, पर लागू होंगे।

(2) ये नियम:-

(i) विदेशों में राजनयिक, कांसुली अथवा अन्य भारतीय संस्थापनाओं में सेवा के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्तियों;

(ii) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं;

(iii) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;

(iv) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान किया जाता है; जिसके अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उजरती आधार पर भुगतान किया जाता है।

(v) संविदा में निहित अन्यथा प्रावधान के सिवाय संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;

(vi) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवा में पुन:नियोजित व्यक्तियों;

(vii) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें;

पर लागू नहीं होंगे।

3. **परिभाषाएं**- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अभिप्रेत है;

(iii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+, शीर्ष वेतनमान और मंत्रिमंडल सचिव के लिए लागू वेतनमान में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।

(iv) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

**स्पष्टीकरण**- ऐसा सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन", "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" और "विद्यमान वेतनमान" जैसे शब्दों का यह अभिप्राय होगा कि - उस पद जो भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान;

(v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;

(vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के लेवल तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा-निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;

(vii) वेतन मैट्रिक्स में "लेवल" से, इन नियमों की अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।

(viii) "लेवल में वेतन" से अनुसूची के भाग-क में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ix) किसी पद के संबंध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।

(x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी सरकारी सेवक के लेवल में वेतन अभिप्रेत है; और

(xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

4. **पदों के लेवल** - संशोधित वेतन संरचना में पदों के लेवल का निर्धारिण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

5. **संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण** - इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय सरकारी सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा;

बशर्ते कि कोई सरकारी सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है।

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच प्रोन्नति अथवा उन्नयन के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में रखा गया हो तो वह सरकारी सेवक, यथास्थिति, ऐसी प्रोन्नति अथवा उन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने के विकल्प का चयन कर सकता है।

**स्पष्टीकरण 1-** इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

**स्पष्टीकरण 2-** उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

**स्पष्टीकरण 3-** यदि कोई सरकारी सेवक मूल नियम 22 अथवा किसी अन्य नियम अथवा उस पद के लिए लागू आदेश के अधीन उस वेतन संरचना में वेतन के विनियमन के प्रयोजन से नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में धारित पद की विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने के लिए इस नियम के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक वेतन या तो वह वास्तविक वेतन होगा जो उसने स्थायी पद जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है अथवा उसका ग्रहणाधिकार रहा होता यदि उसका ग्रहणाधिकार निलंबित नहीं किया जाता, के संबंध में विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने पर आहरित किया होता या फिर स्थानापन्न पद का वेतन जो फिलहाल लागू किसी आदेश के अनुसरण में वास्तविक वेतन बन गया है, इनमें से जो भी अधिक हो।

6. **विकल्प का प्रयोग-**

(1) नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संलग्न फॉर्म में लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्वर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

बशर्ते कि-

(i) ऐसा सरकारी सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए; और

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी 01 जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप-नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।

(2) सरकारी सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों से संलग्न फॉर्म में, एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।

(3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप-नियम (1) मे उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा।

टिप्पण 1- ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी 2016, को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो संस्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, उप-नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पण 2- ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी 2016, को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया है यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

टिप्पण 3- ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

7. **संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण:**

(1) किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राष्ट्रपति, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है अथवा यदि ग्रहणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका ग्रहणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के संबंध में निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:-

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में:-

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुरूपी कोई समरूप राशि है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका

उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा।

उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड: पीबी-1
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 10160
4. विद्यमान मूल वेतन: 12560 (10160+2400)
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 4
7. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि): 32300.

| वेतन बैंड | 5200-20200 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 |
| लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 |
| 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 |
| 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 |
| 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 |
| 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 |
| 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 |
| 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 |
| 8 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 35900 |
| 9 | 22800 | 25200 | 27600 | **32300** | 37000 |
| 10 | 23500 | 26000 | 28400 | 33300 | 38100 |
| 11 | 24200 | 26800 | 29300 | 34300 | 39200 |

(ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त उप-खण्ड (i) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा;

(ख) चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:

(i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के संबंध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप-खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-3
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 15600
4. विद्यमान मूल वेतन : 21000
5. मूल वेतन पर 25% प्रैक्टिसबंदी भत्ता: 5250
6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से महंगाई भत्ता : 6563
7. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 21000 x 2.57 = 53970
8. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ता: 6563 (5250 का 125%)
9. क्रम सं. 7 और 8 का जोड़ = 60533
10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी-3) का तदनुरूपी लेवल: लेवल 10
11. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): 61300
12. संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250
13. संशोधित वेतन + संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550

| वेतन बैंड | 15600-39100 | | |
|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | 5400 | 6600 | 7600 |
| लेवल | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 56100 | 67700 | 78800 |
| 2 | 57800 | 69700 | 81200 |
| 3 | 59500 | 71800 | 83600 |
| 4 | **61300** | 74000 | 86100 |
| 5 | 63100 | 76200 | 88700 |
| 6 | 65000 | 78500 | 91400 |

(2) यदि किसी पद को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप अनुसूची के भाग 'ख' अथवा भाग 'ग' में दर्शाए गए अनुसार उन्नत किया गया है तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुरूपी ग्रेड वेतन में

संबंधित कर्मचारी द्वारा विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन जोड़ दिया जाएगा और फिर वेतन का निर्धारण उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार निर्धारित विधि से किया जाएगा।

उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1
2. विद्यमान वेतन : 2400
3. विद्यमान मूल वेतन : 12560
4. उन्नत ग्रेड वेतन: 2800
5. निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12960 (10160+2800)
6. क्रम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन: 33307.20 (33307 में पूर्णांकित)
7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5
8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : 33900.

| वेतन बैंड | 5200-20200 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 |
| लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 |
| 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 |
| 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 |
| 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 |
| 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 |
| 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | **33900** |
| 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 |

(3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह छुट्टी वेतन का हकदार है, 01 जनवरी 2016, से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी 2016, से आथवा संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(5) निलंबन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा।

(6) यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए लागू वेतन संरचना का विलय एक लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।

(7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी काडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप-नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।

(9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अंतर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(10) (i) ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी 2016 से पहले किसी उच्चतर पद प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा-निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही काडर के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी काडर के समरूप पद हों;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन-पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;

(ग) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन संरचना मे ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो।

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप-नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

(ii) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निधारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्यधीन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा-निर्धारित वेतन वास्त्विक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारन - 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का वेतन उस पद पर जिस पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते, कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

9. **वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि** - वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत् कोष्ठिका में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

**उदाहरण:**

लेवल 4 में 32300 रुपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लंबवत् नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन 33300 हो जाएगा।

| **वेतन बैंड** | **5200-20200** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ग्रेड वेतन** | **1800** | **1900** | **2000** | **2400** | **2800** |
| **लेवल** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 |
| 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 |
| 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 |
| 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 |
| 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 |
| 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 |
| 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 |
| 8 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 35900 |
| 9 | 22800 | 25200 | 27600 | **32300** | 37000 |
| | | | | ↓ | |
| 10 | 23500 | 26000 | 28400 | **33300** | 38100 |
| 11 | 24200 | 26800 | 29300 | 34300 | 39200 |

10. **संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख -**

(1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई:

बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

क. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई, 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

ख. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी।

बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्य होगी।

(3) ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ के वेतन के

बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

11. **01 जनवरी, 2016 के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन का संशोधन** - यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

12. **केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वेतन-रक्षा:** यदि केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के अधीन केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार ये अधिकारी रहे होते यदि वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने मूल काडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर की संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।

13. **01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण** - संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोन्नति के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(i) एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें प्रोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें प्रोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

उदाहरण:

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4
2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन: 28700
3. प्रोन्नति/एमएसीपी स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में
4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600
5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)

| **वेतन बैंड** | **5200-20200** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ग्रेड वेतन** | **1800** | **1900** | **2000** | **2400** | **2800** |
| **लेवल** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 |
| 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | **30100** |
| 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 |
| 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 |
| 5 | 20300 | 22400 | 24500 | **28700** | 32900 |
| 6 | 20900 | 23100 | 25200 | **29600** | 33900 |
| 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 |

(ii) प्रैक्टिस-बंदी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में मूल वेतन+प्रैक्टिस-बंदी भत्ता, शीर्ष लेवल और मंत्रिमंडल सचिव के लेवल के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

14. **वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि** - बकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण**- इस नियम के प्रयोजनार्थ: किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है:

(i) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़; और

(ii) वेतन और महंगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

15. **नियमों का प्रत्यादेशी प्रभाव** - मूल नियमों, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वेतन संशोधन) नियम, 1947, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (संशोधित वेतन) नियम, 1960, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वेतन संशोधन), नियम 1973, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वेतन संशोधन) नियम, 1986, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वेतन संशोधन) नियम, 1997 और रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वेतन संशोधन) नियम, 2008 के उपबंध, इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

16. **शिथिलीकरण की शक्ति** - राष्ट्रपति का समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबंध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, के अध्यधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

17. **निर्वचन** - **यदि** इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो विनिश्चय के लिए इसे केन्द्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

अनुसूची

[नियम 3 (vi) और 7 (2) देखें]

भाग - क

## वेतन मैट्रिक्स

| वेतन बैंड | 5200-20200 | | | | | 9300-34800 | | | | 15600-39100 | | | 37400-67000 | | | 67000-79000 | 75500-80000 | 80000 | 90000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5400 | 5400 | 6600 | 7600 | 8700 | 8900 | 10000 | | | | |
| लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13क | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 | 35400 | 44900 | 47600 | 53100 | 56100 | 67700 | 78800 | 118500 | 131100 | 144200 | 182200 | 205400 | 225000 | 250000 |
| 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 | 36500 | 46200 | 49000 | 54700 | 57800 | 69700 | 81200 | 122100 | 135000 | 148500 | 187700 | 211600 | | |
| 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 | 37600 | 47600 | 50500 | 56300 | 59500 | 71800 | 83600 | 125800 | 139100 | 153000 | 193300 | 217900 | | |
| 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 | 38700 | 49000 | 52000 | 58000 | 61300 | 74000 | 86100 | 129600 | 143300 | 157600 | 199100 | 224400 | | |
| 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 | 39900 | 50500 | 53600 | 59700 | 63100 | 76200 | 88700 | 133500 | 147600 | 162300 | 205100 | | | |
| 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 | 41100 | 52000 | 55200 | 61500 | 65000 | 78500 | 91400 | 137500 | 152000 | 167200 | 211300 | | | |
| 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 | 42300 | 53600 | 56900 | 63300 | 67000 | 80900 | 94100 | 141600 | 156600 | 172200 | 217600 | | | |
| 8 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 35900 | 43600 | 55200 | 58600 | 65200 | 69000 | 83300 | 96900 | 145800 | 161300 | 177400 | 224100 | | | |
| 9 | 22800 | 25200 | 27600 | 32300 | 37000 | 44900 | 56900 | 60400 | 67200 | 71100 | 85800 | 99800 | 150200 | 166100 | 182700 | | | | |
| 10 | 23500 | 26000 | 28400 | 33300 | 38100 | 46200 | 58600 | 62200 | 69200 | 73200 | 88400 | 102800 | 154700 | 171100 | 188200 | | | | |
| 11 | 24200 | 26800 | 29300 | 34300 | 39200 | 47600 | 60400 | 64100 | 71300 | 75400 | 91100 | 105900 | 159300 | 176200 | 193800 | | | | |
| 12 | 24900 | 27600 | 30200 | 35300 | 40400 | 49000 | 62200 | 66000 | 73400 | 77700 | 93800 | 109100 | 164100 | 181500 | 199600 | | | | |
| 13 | 25600 | 28400 | 31100 | 36400 | 41600 | 50500 | 64100 | 68000 | 75600 | 80000 | 96600 | 112400 | 169000 | 186900 | 205600 | | | | |
| 14 | 26400 | 29300 | 32000 | 37500 | 42800 | 52000 | 66000 | 70000 | 77900 | 82400 | 99500 | 115800 | 174100 | 192500 | 211800 | | | | |
| 15 | 27200 | 30200 | 33000 | 38600 | 44100 | 53600 | 68000 | 72100 | 80200 | 84900 | 102500 | 119300 | 179300 | 198300 | 218200 | | | | |
| 16 | 28000 | 31100 | 34000 | 39800 | 45400 | 55200 | 70000 | 74300 | 82600 | 87400 | 105600 | 122900 | 184700 | 204200 | | | | | |
| 17 | 28800 | 32000 | 35000 | 41000 | 46800 | 56900 | 72100 | 76500 | 85100 | 90000 | 108800 | 126600 | 190200 | 210300 | | | | | |
| 18 | 29700 | 33000 | 36100 | 42200 | 48200 | 58600 | 74300 | 78800 | 87700 | 92700 | 112100 | 130400 | 195900 | 216600 | | | | | |
| 19 | 30600 | 34000 | 37200 | 43500 | 49600 | 60400 | 76500 | 81200 | 90300 | 95500 | 115500 | 134300 | 201800 | | | | | | |
| 20 | 31500 | 35000 | 38300 | 44800 | 51100 | 62200 | 78800 | 83600 | 93000 | 98400 | 119000 | 138300 | 207900 | | | | | | |

| वेतन बैंड | 5200-20200 | | | | | 9300-34800 | | | | 15600-39100 | | | 37400-67000 | | | 67000-79000 | 75500-80000 | 80000 | 90000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5400 | 5400 | 6600 | 7600 | 8700 | 8900 | 10000 | | | | |
| लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13क | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 32400 | 36100 | 39400 | 46100 | 52600 | 64100 | 81200 | 86100 | 95800 | 101400 | 122600 | 142400 | 214100 | | | | | | |
| 22 | 33400 | 37200 | 40600 | 47500 | 54200 | 66000 | 83600 | 88700 | 98700 | 104400 | 126300 | 146700 | | | | | | | |
| 23 | 34400 | 38300 | 41800 | 48900 | 55800 | 68000 | 86100 | 91400 | 101700 | 107500 | 130100 | 151100 | | | | | | | |
| 24 | 35400 | 39400 | 43100 | 50400 | 57500 | 70000 | 88700 | 94100 | 104800 | 110700 | 134000 | 155600 | | | | | | | |
| 25 | 36500 | 40600 | 44400 | 51900 | 59200 | 72100 | 91400 | 96900 | 107900 | 114000 | 138000 | 160300 | | | | | | | |
| 26 | 37600 | 41800 | 45700 | 53500 | 61000 | 74300 | 94100 | 99800 | 111100 | 117400 | 142100 | 165100 | | | | | | | |
| 27 | 38700 | 43100 | 47100 | 55100 | 62800 | 76500 | 96900 | 102800 | 114400 | 120900 | 146400 | 170100 | | | | | | | |
| 28 | 39900 | 44400 | 48500 | 56800 | 64700 | 78800 | 99800 | 105900 | 117800 | 124500 | 150800 | 175200 | | | | | | | |
| 29 | 41100 | 45700 | 50000 | 58500 | 66600 | 81200 | 102800 | 109100 | 121300 | 128200 | 155300 | 180500 | | | | | | | |
| 30 | 42300 | 47100 | 51500 | 60300 | 68600 | 83600 | 105900 | 112400 | 124900 | 132000 | 160000 | 185900 | | | | | | | |
| 31 | 43600 | 48500 | 53000 | 62100 | 70700 | 86100 | 109100 | 115800 | 128600 | 136000 | 164800 | 191500 | | | | | | | |
| 32 | 44900 | 50000 | 54600 | 64000 | 72800 | 88700 | 112400 | 119300 | 132500 | 140100 | 169700 | 197200 | | | | | | | |
| 33 | 46200 | 51500 | 56200 | 65900 | 75000 | 91400 | 115800 | 122900 | 136500 | 144300 | 174800 | 203100 | | | | | | | |
| 34 | 47600 | 53000 | 57900 | 67900 | 77300 | 94100 | 119300 | 126600 | 140600 | 148600 | 180000 | 209200 | | | | | | | |
| 35 | 49000 | 54600 | 59600 | 69900 | 79600 | 96900 | 122900 | 130400 | 144800 | 153100 | 185400 | | | | | | | | |
| 36 | 50500 | 56200 | 61400 | 72000 | 82000 | 99800 | 126600 | 134300 | 149100 | 157700 | 191000 | | | | | | | | |
| 37 | 52000 | 57900 | 63200 | 74200 | 84500 | 102800 | 130400 | 138300 | 153600 | 162400 | 196700 | | | | | | | | |
| 38 | 53600 | 59600 | 65100 | 76400 | 87000 | 105900 | 134300 | 142400 | 158200 | 167300 | 202600 | | | | | | | | |
| 39 | 55200 | 61400 | 67100 | 78700 | 89600 | 109100 | 138300 | 146700 | 162900 | 172300 | 208700 | | | | | | | | |
| 40 | 56900 | 63200 | 69100 | 81100 | 92300 | 112400 | 142400 | 151100 | 167800 | 177500 | | | | | | | | | |

भाग - ख

## चिकित्सा एवं पराचिकित्सा सेवाओं के लिए और सामान्य वर्गों के लिए उन्नत लेवल

निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों के लिए कॉलम (5) में उल्लिखित संशोधित वेतन संरचना में दिया गया लेवल सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, प्रारंभिक निर्धारण, नियम 7 के उप नियम (2) के अनुसार किया जाएगा:

| चिकित्सा एवं पराचिकित्सा सेवाएं | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | पद का नाम | विद्यमान ग्रेड वेतन | | संशोधित वेतन संरचना | |
| | | मौजूदा ग्रेड वेतन | ग्रेड वेतन जिसके समरूप संशोधित लेवल संस्तुत किए गए हैं | वेतन मैट्रिक्स में लेवल | रिपोर्ट का पैरा संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | ऑप्टोमीट्रिस्ट | 2800 | 4200 | लेवल -6 | 7.6.73 |
| 2. | वरिष्ठ ऑप्टोमीट्रिस्ट | 4200 | 4600 | लेवल -7 | 7.6.73 |
| 3. | ऑप्टोमीट्रिस्ट अधिकारी | 4600 | 4800 | लेवल -8 | 7.6.73 |
| 4. | डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल तकनीशियन | 2400 | 2800 | लेवल -5 | 7.6.79 |
| 5. | ड्रैसर | 1800 | 2000 | लेवल -3<br>ड्रैसर की प्रवेश स्तरीय अर्हता को संशोधित करके घावों की मरहम-पट्टी करने के तीन वर्ष के अनुभव के साथ कक्षा XII का उपबंध किए जाने पर यह लेवल दिया जा सकेगा। विद्यमान पदधारकों जिनके पास संशोधित अर्हता नहीं है, को तत्समय प्रतिस्थापन वेतन लेवल दिया जा सकता है। उन्हें संशोधित अर्हता प्राप्त करने अथवा ग्रेड वेतन 1800 रुपए के सदृश वेतन लेवल में पांच वर्ष पूरे करने, जो भी पहले हो, के पश्चात् लेवल-3 प्रदान किया जा सकता है। | 7.6.108 |

| सामान्य वर्ग | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में डेंटल हाइजीएनिस्ट | 2400 | 4200 | लेवल -6<br>यह लेवल, केन्द्र सरकार के अस्पतालों की पद्धतियों के अनुसार प्रवेश स्तरीय अर्हताओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के प्रयासों के अध्यधीन होगा। | 7.7.55 |

भाग - ग

## मंत्रालयों, विभागों और संघ राज्य क्षेत्रों में कतिपय पदों के लिए उन्नत लेवल

निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों के लिए कॉलम (5) में उल्लिखित संशोधित वेतन संरचना में दिया गया लेवल सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निर्धारण, नियम 7 के उप नियम (2) के अनुसार किया जाएगा:

| क्र. सं. | पद का नाम | विद्यमान ग्रेड वेतन | | संशोधित वेतन संरचना | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | विद्यमान ग्रेड वेतन | ग्रेड वेतन जिसके समरूप संशोधित लेवल संस्तुत किए गए हैं | वेतन मैट्रिक्स में लेवल | रिपोर्ट का पैरा संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रक्षा मंत्रालय | | | | | |
| 1. | इतिहास प्रभाग में अनुसंधान/हेराल्डिक सहायक | 4200 | 4600 | लेवल -7 | 11.12.81 |
| 2. | इतिहास प्रभाग में सहायक निदेशक | 4600 | 4800 | लेवल -8 | 11.12.81 |
| 3. | सीधी भर्ती वाले डिप्लोमा धारक यांत्रिक, भारतीय तटरक्षक | 2400 | 2800 | लेवल - 5<br>यांत्रिक को 6200/- रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया जाए | 11.12.18 |
| 4. | सारंग लश्कर, भारतीय तटरक्षक | 1900 | 2400 | लेवल - 4 | 11.12.21 |
| 5. | भारतीय तटरक्षक के भर्ती किए गए कार्मिकों के संबंध में समूह 'जेड' का विलय समूह 'वाई' में किया जाएगा। | | | | 11.12.15 |

## विकल्प का फॉर्म

{नियम 6 (2) देखें}

*1. मैं, _____ 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।

*2. मैं, _____ अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन बढ़कर _____ रुपए हो जाए/मेरे, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/ _____ के पद पर मेरी प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ:

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन _____

हस्ताक्षर_____

नाम _____

पदनाम_____

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

### वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

तारीख:

स्थान:

**नियम 1** - यह नियम स्वत: स्पष्ट है।

**नियम 2** - इस नियम में कर्मचारियों जिन पर ये नियम लागू होते हैं, के वर्ग निर्धारित किए गए हैं। उप-नियम (2) के अधीन छोड़े गए वर्गों के सिवाए, ये नियम विभागों जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन में से भुगतान किया जाता है, में सेवारत सभी व्यक्तियों जिन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है, पर लागू होते हैं। तथापि, ये नियम कार्य प्रभारित प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं।

**नियम 3 और 4** - ये नियम स्वत: स्पष्ट हैं।

**नियम 5** - आशय यह है कि उन कर्मचारियों जो मौजूदा वेतन संरचना का चयन करते हैं, के सिवाए सभी सरकारी सेवकों को संशोधित वेतन संरचना में लाया जाए। सरकारी सेवक जो विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने के विकल्प का प्रयोग करेंगे, 01 जनवरी, 2016 को प्रभावी दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करते रहेंगे। यदि कोई सरकारी सेवक वास्तविक हैसियत में स्थायी पद पर है और उच्चतर पद पर स्थानापन्न है, अथवा प्रतिनियुक्ति आदि पर न होता तो एक या एकाधिक पदों पर स्थानापन्न रहा होता तो उसके पास केवल एक वेतनमान के संबंध में ही विद्यमान वेतन संरचना को बनाए रखने का विकल्प है। ऐसा कोई सरकारी सेवक किसी स्थायी पद अथवा किसी एक स्थानापन्न पद के लिए लागू विद्यमान वेतनमान बरकरार रख सकता है। शेष पदों के संबंध में उसे अनिवार्य रूप से संशोधित वेतन संरचना में शामिल किया जाना होगा।

**नियम 6** - इस नियम में वह रीति विहित की गई है जिसमें विकल्प का प्रयोग किया जाना है और वह प्राधिकारी भी निर्धारित किया गया है जिसे ऐसे विकल्प की सूचना दी जाएगी। इस विकल्प का प्रयोग इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म में किया जाना है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी सरकारी सेवक के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय-सीमा में यह विकल्प विहित प्राधिकारी के पास पहुंच भी जाए। ऐसे व्यक्तियों जो इन नियमों की अधिसूचना के समय भारत से बाहर हैं, के मामले में वह अवधि जिसके अंदर इस विकल्प का प्रयोग किया जाना है, भारत में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन माह की है। ऐसे सरकारी सेवकों जिनके पदों की संशोधित वेतन संरचना इन नियमों को जारी किए जाने की तारीख के पश्चात् घोषित की जाती है, के मामले में तीन माह की अवधि ऐसी घोषणा की तारीख से शुरू होगी।

ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हो गए हैं, भी इस विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं।

**नियम 7** - यह नियम 01 जनवरी, 2016 को विद्यमान वेतनमानों में वेतन के वास्तविक निर्धारण से संबंधित है और स्वत: स्पष्ट है। इस नियम का लाभ ऐसे मामलों में स्वीकार्य नहीं हैं जिनमें सरकारी सेवक ने अपने वास्तविक पद के संबंध में संशोधित वेतन संरचना का चयन कर लिया है, किन्तु जिसने किसी स्थानापन्न पद के संबंध में विद्यमान वेतनमान को बरकरार रखा है।

**नियम 8** - इस नियम में, 01 जनवरी, 2016 को अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण की रीति विहित की गई है।

**नियम 9 और 10** - इन नियमों में वह रीति विहित की गई है जिसके अनुसार नई वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि विनियमित की जाएगी।

**नियम 11 से 17** - ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

[फा. सं. 11(3)/2016- रक्षा (सिविलियन-1)]

वी० आनन्दराजन

(वी.आनंदराजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार